

न्यायालय:-श्रीष कौलाश शुक्ल, व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-1 बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

व्य0वादप्रक0 क0-60ए/2016
संस्थित दिनांक 12.03.2014

जभारसिंह उम्र-53 वर्ष पिता भेंगसिंह जाति गोंड,
निवासी ग्राम खलौण्डी तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट म0प्र0।

.....वादी।

विरुद्ध

- 1.पुसऊसिंह उयके उम्र-40 वर्ष पिता छोटेलाल जाति गोंड,
निवासी मलाजखण्ड तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
हाल मुकाम खलौण्डी तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट।
- 2.म0प्र0 राज्य द्वारा-श्रीमान कलेक्टर महोदय, बालाघाट।

.....प्रतिवादीगण।

:- निर्णय :-

:- दिनांक **28.07.2016** को घोषित :-

1. यह वाद वादग्रस्त संपत्ति मौजा खलौण्डी प.ह.नं.11 खसरा नंबर 46/2 रकबा 2.833 हे0 पर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाकर कब्जा प्राप्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण में स्वीकृत है कि वादी ग्राम खलौण्डी तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट का स्थाई निवासी है।
3. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ग्राम खलौण्डी प.ह.नं.11 खसरा नंबर 46/2 रकबा 2.833 हे0 की भूमि का स्वामी है जो उसे पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई थी। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा दिनांक 02.12.2013 को अनाधिकृत रूप से वादी के स्वत्व की भूमि जिसे वाद नक्शे में क, ख, ग, घ से दर्शाया गया है, पर पक्का मकान बनाने के लिये नींव खोदने का काम शुरू किया गया। वादी की जानकारी में यह बात आने पर वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध नाजायज कब्जा न करने के लिये प्रतिवादी क्रमांक 01 को कहा गया तो प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वादी से विवाद किया। वादी ने गांव के पंचों को इस संबंध में जानकारी दी तो प्रतिवादी ने उनकी बात भी नहीं मानी और पक्का मकान बनाने का काम चालू रखा। इसके पश्चात वादी ने तहसीलदार परसवाड़ा के समक्ष वादग्रस्त भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और तहसीलदार के आदेश से राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा द्वारा विवादित भूमि का सीमांकन दिनांक 12.02.2014 को किया गया। सीमांकन रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि वादी को दिनांक 06.03.2014 को प्राप्त हुई जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा 18 गुणा 20=180 वर्गफीट भूमि

Filling no,234503003022014

पर अवैध कब्जा करना पाया गया। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि वादी की अतिक्रमण की भूमि 18 गुणा 10=180 वर्गफीट लेख करना चाहिये था। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा मकान का काम बंद नहीं करने से वादी ने दिनांक 07.03.2014 को पुलिस थाना परसवाड़ा में प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 01 ने दिनांक 11.03.2014 को मकान में छत डालने का काम पूर्ण कर अपने मकान के निर्माण को पूर्ण कर लिया। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 01 ने बिना किसी अधिकार के वादी की भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य किया है इसलिये प्रतिवादी क्रमांक 01 का मकान तुड़वाकर वादी को रिक्त आधिपत्य दिलाया जावे। साथ ही भविष्य में प्रतिवादी क्रमांक 01 वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में दखल न दे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे।

4. स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त शेष अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादी क्रमांक 01 ने यह कहा है कि वादी ने गलत आधार पर झूठा प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी लगभग 60 वर्ष पूर्व से शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 39/1, 39/18 रकबा 1.92 एकड़ भूमि जो शासकीय भूमि होकर शासकीय मद में दर्ज है पर कुल रकबा ढाई डिसमिल का आधिपत्यधारी है। यह भूमि शासकीय मद पर दर्ज है और यह भूमि ग्राम पंचायत की होने से ग्राम पंचायत खलौंडी द्वारा दिनांक 28.06.2014 को प्रतिवादी क्रमांक 01 को प्रमाण पत्र दिया जाकर उसके आधिपत्य को प्रमाणित किया गया है। प्रतिवादी की जमीन से लगकर वादी की जमीन है और विवादित जमीन के किनारे से गांव की सड़क जाती है। वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच सामाजिक एवं राजनीतिक विवाद होने से वादी ने झूठा दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त किया जावे।

5. न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख उसके निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा खलौंडी प.ह.नं.11 रा.नि.मं. व तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 46/2 रकबा 7.00 एकड़/2.833 हे0 भूमि में वादी के विधिपूर्ण आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा वादपत्र के नक्शे में दर्शित अ, ब, स वाले भू-भाग पर अवैध रूप से आधिपत्य कर मकान का निर्माण किया गया है ?	प्रमाणित

2	क्या वादी विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा किये गये निर्माण कार्य को तुड़वाकर तथा अतिक्रमण वाले भाग का रिक्ता आधिपत्य प्राप्त करने का हकदार है ?	प्रमाणित
3	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका क्र.14 के अनुसार

वादप्रश्न क01 निष्कर्ष:-

6. इस वादप्रश्न को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी जभारसिंह वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि विवादित भूमि ग्राम खलौंडी प.ह.नं.11 खसरा नंबर 46/2 रकबा 7.00 एकड़/2.833 हे0 उसके स्वत्व की भूमि है जो उसकी पैतृक संपत्ति है। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने दिनांक 02.12.2012 को अनाधिकृत रूप से उसके स्वत्व की भूमि के एक भाग पर कब्जा कर लिया और वाद नक्शा में दर्शित क, ख, ग, घ में पक्का मकान बनाने के लिये नीव खोदने का काम शुरू कर दिया। वादी को यह जानकारी हुई और उसने प्रतिवादी से विवादित भूमि पर अनाधिकृत कब्जा नहीं करने के लिये कहा तो प्रतिवादी क्रमांक 01 ने उससे विवाद किया। गांव के सरपंच इत्यादि ने भी प्रतिवादी क्रमांक 01 को समझाईश दी परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपना निर्माण कार्य बंद नहीं किया। वादी ने तहसीलदार परसवाड़ा के समक्ष अपनी भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा द्वारा दिनांक 12.02.2014 को मौके का सीमांकन किया गया जिसमें कि लगभग 18 गुणा 20 वर्गफीट की भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 का कब्जा एवं निर्माण पाया गया। वादी द्वारा संपूर्ण विरोध किये जाने के बाद भी प्रतिवादी क्रमांक 01 ने विवादित स्थान पर लगभग 02 लाख कीमत का पक्का निर्माण कार्य किया है जिसे तोड़ने के लिये लगभग 05 हजार रुपये का खर्चा आयेगा।

7. विवादित भूमि वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है इसे सिद्ध करने के लिये खसरा फार्म पी-2 वर्ष 2013-14 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.01 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। वादी ने तहसीलदार परसवाड़ा के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके पश्चात राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके का सीमांकन किया गया था। राजस्व निरीक्षक का पत्र दिनांक 23.02.2014 प्र.पी.02 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। इस पत्र में प्रतिवादी पुसऊ सिंह वल्द छोटेलाल द्वारा 18 गुणा 20=180 वर्गफीट क्षेत्र में पक्का निर्माण किये जाने का उल्लेख है। दिनांक 12.02.2014 को बनाया गया स्थल पंचनामा प्र.पी.03 अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि वादी के स्वत्व की खसरा नंबर 46/2 की भूमि का सीमांकन किये जाने पर उत्तर कोने पर 18 गुणा 10 त्रिभुजाकार क्षेत्र में प्रतिवादी पुसऊ सिंह वल्द छोटेलाल द्वारा पक्का निर्माण किये जाने का लेख है। उल्लेखनीय है कि प्र.पी.03 के पंचनामे पर प्रतिवादी पुसऊ सिंह के ब से ब भाग पर हस्ताक्षर

होना दर्शित है। अर्थात् पंचनामा प्रतिवादी क्रमांक 01 की उपस्थिति में बनाया गया था यह दर्शित है। विवादित भूमि के संबंध में खसरा पांचसाला वर्ष 2011-14 प्र.पी.04 अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि सर्वे क्रमांक 46/2 रकबा 7.00 एकड़/2.833 हे० जभारसिंह वल्द भेंगसिंह के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

8. वादी के कथनों का समर्थन रजपाल सिंह वा.सा.02 ने किया है और कहा है कि विवादित भूमि वादी के स्वत्व की भूमि है जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर पक्का मकान का निर्माण कार्य किया गया है। वादी के कथनों का समर्थन वादी साक्षी चैतराम वा.सा.03 ने भी किया है और कहा है कि वह परसवाड़ा में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। वादी साक्षी चैतराम वा.सा.03 ने कहा है कि दिनांक 12.02.2014 को उसने तहसीलदार परसवाड़ा के आदेश पर ग्राम खलौंडी में वादी जभारसिंह के स्वत्व की खसरा नंबर 46/2 रकबा 7.00 एकड़ का सीमांकन किया और प्रतिवेदन प्र.पी.02 तैयार किया था जिस पर उसने हस्ताक्षर किए थे। उसने सीमांकन पंचनामा प्र.पी.03 तैयार किया था जिसपर उसने हस्ताक्षर किए थे। सीमांकन के समय प्रतिवादी पुसऊ सिंह भी मौके पर उपस्थित था। सीमांकन किये जाने पर खसरा नंबर 46/2 की भूमि पर पुसऊ सिंह वल्द छोटेला का 18 गुणा 10 वर्गफीट की त्रिभुजाकार का था परन्तु अवैध कब्जा पाया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि मौके पर प्रतिवादी का 180 वर्गफीट पर कब्जा पाया गया था। 360 वर्गफीट पर कब्जा नहीं पाया गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि खसरा नंबर 39/1 एवं 39/18 रकबा 1.09 हे० की भूमि शासकीय भूमि है परन्तु इस बात से इंकार किया कि ग्राम पंचायत के द्वारा उपरोक्त भूमि गांव वालों को मकान बनाने के लिये दी गई है।

9. वादी जभारसिंह वा.सा.01 का यह भी कहना है कि अवैध रूप से कब्जा किये जाने के पश्चात उसने पुलिस थाना परसवाड़ा में प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में वादी ने प्र.पी. 05 की लिखित शिकायत अभिलेख पर प्रस्तुत की है। प्र.पी.05 में वादी द्वारा थाना प्रभारी परसवाड़ा को प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा उसकी भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाये जाने पर शिकायत किये जाने एवं कार्यवाही किये जाने हेतु शिकायत किया जाना दर्शित है।

10. प्रतिवादी साक्षी पुसऊ सिंह प्र.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि वादी ने झूठे आधारों पर न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा नाप कराये जाने पर खसरा नंबर 46/2 की भूमि से लगी हुई भूमि पर अतिक्रमण होना बताया गया है जबकि प्रतिवादी क्रमांक 01 को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर मौके की जमीन दी गई थी। नाप कराने के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपने पुराने टूटे हुये मकान की जगह पर ही कब्जा किया है। राजनैतिक प्रतिद्वंदता के कारण वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 01

Filling no,234503003022014

के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 के ससुर का मकान था और उसी स्थान पर पुराने मकान को तोड़कर नया ईंट का पक्का मकान बनाया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि ग्राम खलौंडी की आबादी भूमि 49/1 रकबा डेढ़ एकड़ की भूमि उसे दिये जाने के संबंध में उसने कोई भी दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। यह भी स्वीकार किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर उसे भूमि आबंटित की गई थी, इस संबंध में भी पंचायत के प्रस्ताव की प्रति अथवा अन्य दस्तावेज उसने प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके ससुर शिवराज को भूमि आबंटित हुई थी जिस स्थान पर उसने मकान बनाया है, उसके भी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 07 में साक्षी ने स्पष्ट स्वीकारोक्ति की है कि जिस स्थान पर उसने मकान बनाया है वह भूमि शासकीय भूमि है, इस बात को सिद्ध करने के लिये उसने सीमांकन इत्यादि भी नहीं करवाया है। प्रतिवादी के कथनों का समर्थन प्रतिवादी साक्षी निरखसिंह प्र.सा.02 एवं भुवनसिंह प्र.सा.03 ने अपने शपथ पत्र में किया है और कहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 पुसऊ सिंह ने वादी के स्वत्व की भूमि पर कब्जा नहीं किया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 का कब्जा शासकीय भूमि पर है।

11. प्रतिवादी साक्षी भुवनसिंह प्र.सा.03 ने कहा है कि लगभग 20 वर्ष पूर्व ग्राम खलौंडी में वह आया था तब शासन ने इंदिरा आवास योजना के तहत 05 डिसमिल भूमि मकान बनाने के लिये उसके पिता प्रेमसिंह को दी थी। लगभग 20 वर्ष पूर्व उसने जब ग्राम सुमेरीखेड़ा आकर रहना प्रारंभ कर दिया तब उसने प्रतिवादी पुसऊ सिंह के ससुर को उस भूमि का कब्जा दिया था। इसी आशय का कथन प्रतिवादी साक्षी भुवनसिंह प्र.सा.03 ने भी किया है और कहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 के पूर्व विवादित भूमि पर कब्जा शिवराज सिंह का था और वर्तमान में प्रतिवादी पुसऊ सिंह का कब्जा है।

12. प्रकरण में विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में वादी जभारसिंह के नाम पर दर्ज है, इसे सिद्ध करने के लिये राजस्व अभिलेख प्र.पी.01 तथा प्र.पी.04 के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। विवादित भूमि के विषय में सीमांकन की कार्यवाही हुई थी और सीमांकन में 180 वर्गफीट त्रिभुजाकार क्षेत्र में प्रतिवादी पुसऊ सिंह का अवैध कब्जा पाया गया था। सीमांकन प्रतिवेदन प्र.पी.02 तथा पंचनामा प्र.पी.03 से यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 46/2 की कुल रकबा 7.00 एकड़ में से 180 वर्गफीट पर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर मकान निर्माण किया गया है। प्रतिवादी ने बचाव का यह आधार अवश्य लिया है कि उसे ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर शासकीय भूमि आबंटित की गई थी परन्तु इस बाबत कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त स्थिति में यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वादपत्र के साथ संलग्न वाद नक्शे में दर्शित अ, ब, स के स्थान पर अवैध रूप से कब्जा कर पक्का मकान का

Filling no,234503003022014

निर्माण कार्य किया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपने शपथ पत्र एवं प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकारोक्ति की है कि उसने जिस स्थान पर निर्माण कार्य किया है वह जमीन उसके नाम पर दर्ज नहीं है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष:-

13. वादप्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष में यह प्रमाणित पाया गया है कि विवादित भूमि मौजा खलौंडी प.ह.नं.11 खसरा नंबर 46/2 रकबा 7.00 एकड़/2.833 हे० जो वादी जभारसिंह के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है उस भूमि के एक भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर पक्का मकान का निर्माण किया गया है। वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा किये गये पक्के निर्माण कार्य को तोड़कर उसे रिक्त आधिपत्य प्रदान किया जावे। वादी ने इस संबंध में अभिलेख पर सीमांकन प्रतिवेदन प्र.पी.02 प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवादी पुसऊ सिंह द्वारा 180 वर्गफीट पर कब्जा करना और पक्का निर्माण करना मौके पर पाये जाने का उल्लेख है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्र.पी.03 दिनांक 12.02.2014 को बनाया गया था और इस पंचनामें पर भी प्रतिवादी पुसऊ सिंह वल्द छोटेला ल के 18 गुणा 10=180 वर्गफीट पर अनाधिकृत कब्जे का पंचनामा बनाया गया था तब प्रतिवादी पुसऊ सिंह उपस्थित था और उसने प्र.पी.03 पर हस्ताक्षर भी किये थे। इस प्रकार संपूर्ण जानकारी होने पर भी प्रतिवादी द्वारा सआशय वादी के स्वत्व की भूमि पर कब्जा किया जाना प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति में वादी, प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा किये गये पक्के निर्माण को तोड़ा जाकर रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी होना प्रमाणित पाया जाता है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष प्रमाणित में दिया जाता है।

सहायता एवं व्यय:-

14. उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः वादी का वाद विवादित भूमि ग्राम खलौंडी प.ह.नं.11 खसरा नंबर 46/2 रकबा 7.00 एकड़/2.833 हे० के विषय में जयपत्रित किया जाता है एवं निम्न आज्ञाप्ति पारित की जाती है:-

1. प्रतिवादी क्रमांक 01 स्वयं के व्यय पर वादी के स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 46/2 रकबा 7.00 एकड़/2.833 हे० में किये गये निर्माण कार्य जिसे वाद नक्शे में अ, ब, स से दर्शाया गया है को 30 दिवस में तोड़कर रिक्त आधिपत्य वादी को प्रदान करेगा।

2. प्रतिवादी क्रमांक 01 स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से भविष्य में वादी के स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 46/2 रकबा 7.00 एकड़/2.833 हे० में वादी के शांतिपूर्ण आधिपत्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

3. प्रतिवादी क्रमांक 01 वादी का वाद व्यय वहन करेगा।
4. अधिवक्ता शुल्क सूचीनुसार अथवा प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो देय होगा।
तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

दिनांक **28.07.2016**
स्थान—बैहर

सही /—
(श्रीष कैलाश शुक्ल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)